

अनुबंध क

वि. वर्ष 08 से वि.वर्ष 11 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया कुल शुल्क

क्र.सं.	योजना का नाम	छोड़ा गया शुल्क				(₹करोड़ में) कुल
		वि.वर्ष 08	वि0 वर्ष 09	वि. वर्ष 10	वि. वर्ष 11	
1	अग्रिम लाइसेंस	17928.00	17654.00	12389.00	19355.28	67326.28
2	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)	2194.00	1804.00	2324.00	8630.16	14952.16
3	ईओयू/ईएचटी/एसपीटी	14386.00	18978.00	13401.00	8579.87	55344.87
4	निर्यात संवर्धन पूंजीगत योजना (ईपीसीजी)	9152.00	10521.00	7833.00	10621.24	38127.24
5	शुल्क फिरती (डीबीके)	3236.00	12116.00	9219.00	8859.00	33430.00
6	शुल्क हकदारी पासबुक योजना (डीईपीवी)	4842.00	5341.00	7092.00	8756.55	26031.55
7	शुल्क मुक्त पुनःपूर्ति प्रमाण पत्र (डीएफआरसी)	845.00	607.00	111.00	43.53	1606.53
8	स्थितिधारक की शुल्क मुक्त हकदारी क्रेडिट प्रमाण पत्र (डीएफईसीसी)	1416.00	740.00	418.00	156.39	2730.39
9	टारगेट (टीपीएस) प्लस योजनाएं	2619.00	923.00	1220.00	373.99	5135.99
10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)	548.00	538.00	2059.00	1788.48	4933.48
11	भारत सेवा योजना से सेवाकृत (एसएफआईएस)	444.00	642.00	531.00	542.18	2159.18
12	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) योजनाएं	699.00	1359.00	1268.00	1403.99	4729.99
13	फोकस मार्केट योजना		41.00	408.00	548.12	997.12
14	फोकस उत्पाद योजना				1209.46	1209.46
15	मान्य निर्यात	1587.00	2384.00	1528.00	2180.00	7679.00
	कुल	59891.00	73648.00	59801.00	73048.24	266393.20

स्रोत: प्राप्ति बजट एवं सीबीईसी

2013 की प्रतिवेदन संख्या 8 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

अनुबंध क 1

संघ प्राप्ति बजट के अनुसार वि.वर्ष 08 से वि.वर्ष 11 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं पर छोड़ा गया शुल्क

योजना का नाम सं	छोड़ा गया शुल्क				कुल (₹ करोड़ में)
	वि.वर्ष 08	वि. वर्ष 09	वि. वर्ष 10	वि. वर्ष 11	
अग्रिम लाइसेंस	17928.00	17654.00	12389.00	19355.28	67326.23
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)	2194.00	1804.00	2324.00	8630.16	14952.16
ईओयू/ईएचटी/एटीपी	14386.00	18978.00	13401.00	8579.87	55344.87
निर्यात संवर्धन पूंजीगत योजना (ईपीसीजी)	9152.00	10521.00	7833.00	10621.24	38127.24
शुल्क हकदारी पास बुक योजना (डीईपीजी)	4842.00	5341.00	7092.00	8756.55	26031.55
शुल्क मुक्त पुनपूर्ति प्रमाण पत्र (डीएफआरसी)	845.00	607.00	111.00	43.53	1606.53
स्थिति धारक के शुल्क मुक्त हकदारी क्रेडिट प्रमाणपत्र (डीएफईसीसी) योजना	1416.00	740.00	418.00	156.39	2730.39
टारगेट प्लस योजनाएं (टीपीएस)	2619.00	923.00	1220.00	373.99	5135.99
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वाईकेजीयूवाई)	548.00	538.00	2059.00	1788.48	4933.48
भारत सेवा योजना से सेवाकृत (एसएफआईएस)	444.00	642.00	531.00	542.18	2159.18
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) योजनाएं	699.00	1359.00	1268.00	1403.99	4729.99
फोक्स मार्केट/ उत्पाद योजना	-	41.00	408.00	1757.50	2206.50
कुल	55073.00	59148.0	49054.00	62009.16	225284.20

स्रोत: संघ सरकार का प्राप्ति बजट

2013 की प्रतिवेदन संख्या 8 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

अनुबंध ख

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों की अतिरिक्त शुल्क

(₹ करोड़ में)

	वि.व.01	वि.व.02	वि.व.03	वि.व.04	वि.व.05	वि.व.06	वि.व.07	वि.व.08	वि.व.09	वि.व.10	वि.व.11
उत्पाद शुल्क सीमा	72555	82310	90774	99125	111226	117613	123611	108613	102991	132000	138372
शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	16582	14409	15936	16368	22110	29750	38035	46935	46015	33435	51065
उत्पाद शुल्क के % के रूप में सीवीडी	22.85	17.51	17.56	16.51	19.88	25.29	30.77	43.21	44.68	25.33	36.90

सीवीडी का औसत : 27% 16.51% (वि.व. 04) से 44.68 (वि.व.09) के बीच

सीवीडी का मध्य मूल्य: 25%

(iii) माडल मूल्य:25%

रेंज: 28.17%

वार्षिक विकास का औसत: 8.1%

दस वर्षीय औद्योगिक विकास का औसत 8%

अनुबंध ग

- क. अग्रिम प्राधिकार के प्रति माल की आपूर्ति/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार/ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए);
- ख. ईओयूज अथवा एसटीपीज अथवा ईएचटीपीज अथवा वायो टैक्नीकल पार्क (बीटीपीज़) को माल की आपूर्ति;
- ग. निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (प्राधिकारधारकों) हेतु पूंजीगत माल की आपूर्ति;
- घ. जहाँ कानूनी करार सीमाशुल्क जोड़े बिना ही निविदा मूल्यांकन हेतु अनुमति देते हैं उन एजेन्सियों/निधियों के प्रावधानों के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली (आईसीबी) के अधीन वित्त मंत्रालय (एमओएफ), डीईए द्वारा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेन्सियों/ निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजना को माल की आपूर्ति।
- ड. विदेश में निर्मित माल के लिए आपूर्ति शुल्क प्रदत्त (डीडीपी) मूल्यों के आधार पर आमंत्रित मूल्यांकित की गई निविदाओं वाली एजेन्सियों/निधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग द्वारा आईसीबी के अन्तर्गत डीईए द्वारा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेन्सियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल अथवा उपस्कर (टर्नकी ठेके में एकल दायित्व) की आपूर्ति एवं स्थापना।
- च. उर्वरक संयंत्रों में वाणिज्यिक उत्पादन के स्तर पर पहुंचने तक के लिए असंकलित/अलग किए गए की स्थित सहित पूंजीगत माल के साथ ही साथ संयंत्रों, कलपुर्जों, सहायक कलपुर्जों, औजारों डाइयों तथा स्थापना करने के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त वस्तुओं की आपूर्ति, एफओआर मूल्य के 10% तक के पुर्जे;
- छ. जिन परियोजना अथवा उद्देश्य के लिए वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित द्वारा माल को शून्य सीमाशुल्क पर अलग करने की अनुमति दी हुई हो उसके लिए माल की आपूर्ति की गई।
- ज. एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (एफ) में शामिल नहीं की गई बिजली परियोजनाएं अथवा रिफाइनरियाँ;
- झ. 100% ईओयू द्वारा मैरिन फ्राइट कंटेनर की आपूर्ति(घरेलू फ्राइट कंटेनर बिनियमिता) बशर्ते उक्त कंटेनर छ महीने की अवधि अथवा सीमाशुल्क द्वारा अनुमत अग्रिम अवधि के भीतर भारत के बाहर निर्यात कर दिए जाएँ;
- ट. संघ की एजेन्सियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु आपूर्ति; तथा
- ठ. आईसीबी (अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली) के विरुद्ध प्रतियोगितात्मक बोली के माध्यम से परमाणु बिजली योजनाओं को माल की आपूर्ति।

एफटीपी के पैराग्राफों 8.2(डी),(ई), (एफ) तथा (जी) के तहत मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी मिलेंगे यदि आपूर्ति आईसीबी की पद्धति के अधीन की जाए। हालाँकि, बिजली की बहुत बड़ी परियोजनाओं के बारे में आईसीबी के अपेक्षा अति आवश्यक नहीं होगी यदि बिजली की वांछित मात्रा को प्रतियोगितात्मक बोली आधारित शुल्क से निर्धारित किया गया है अथवा परियोजना शुल्क आधारित प्रतियोगितात्मक बोली द्वारा जारी की गई है।

अनुबंध घ
केन्द्रीय बिक्री कर और सीमा शुल्क प्राप्तियों का विशेष अतिरिक्त शुल्क
(₹ करोड़ में)

	वि.व.01	वि.व.02	वि.व.03	वि.व.04	वि.व.05	वि.व.06	वि.व.07	वि.व.08	वि.व.09	वि.व.10	वि.व.11
सीएसटी	8371	11424	11730	10457	13037	13968	16200	18613	18389	17048	19230
एसएडी	2442	3269	लागू नहीं	3595	4083	लागू नहीं	लागू नहीं	10595	13165	14095	18288
सीएसटी के % के रूप में एसएडी	29.17	28.62	लागू नहीं	34.38	31.32	लागू नहीं	लागू नहीं	56.92	71.59	82.68	95.10

सीएसटी: $\{(\text{वि.व.11}-\text{वि.व.01})/\text{वि.व.01}\} * 100=108.59$ सीएसटी का औसत दस वर्षीय विकास
=108.59/11=9.87

एसएडी: $\{(\text{वि.व.11}-\text{वि.व. 01})/\text{वि.व. 01}\} * 100=648.89$ एसएडी का औसत दस वर्षीय विकास
=648.89/11=58.99

औसत= 47.75%

रेंज= वि.व. 11 में 95.10-वि.व. 02 में 28.62= 66.48

सीएसटी/एसएडी अनुपात में औसत वार्षिक विकास=(वि.व.11-वि.व.01)/11×वि.व.01 =0.20